

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री अनुप सिन्हा	प्रा0शा0 जुना लखनपुर	लखनपुर	प्रा0शा0 जोगीबांध	अम्बिकापुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढे हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक / **2827** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/ 2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर / अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 जुना लखनपुर वि.खं.- लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री अनुप सिन्हा** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री रेणु टोप्यो	प्रा0शा0 जूनापारा, सोहगा	अम्बिकापुर	प्रा0शा0 नवानगर	अम्बिकापुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बड़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक / **2827** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/ 2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर / अम्बिकापुर .को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 जूनापारा, सोहगा वि.खं.- अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **सुश्री रेणु टोप्पो** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/ 2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती संगीता भगत	प्रा0शा0 आमादरहा	अम्बिकापुर	प्रा0शा0 रेवापुर	अम्बिकापुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बड़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ०क्रमांक / 2827 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/ 2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर / अम्बिकापुर .को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा०शा० आमादरहा वि.खं.- अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्रीमती संगीता भगत** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/ 2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती दिव्य कुमुदिनी तिर्की	प्रा.शा. सलकापारा	अम्बिकापुर	प्रा0शा0 महेशपुर	अम्बिकापुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बड़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक / **2827** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर / अम्बिकापुर .को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा. सलकापारा वि.खं.- अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्रीमती दिव्य कुमुदिनी तिकी** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अहिस्ता एक्का	प्रा.शा. पाकजाम	अम्बिकापुर	प्रा0शा0 थानपारा	अम्बिकापुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक / 2827 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/ 2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर / अम्बिकापुर .को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा. पाकजाम वि.खं.- अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्रीमती अहिस्ता एक्का** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री देवेन्द्र सिंह पैकरा	प्रा0शा0 चान्दो	लखनपुर	प्रा.शा. हरिहरपुर	उदयपुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ०क्रमांक / 2827 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर / उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा०शा० चान्दो वि.खं.- लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित श्री देवेन्द्र सिंह पैकरा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अंजेली किण्डो	प्रा0शा0 लोसंगा	लखनपुर	प्रा.शा. पण्डरीडांड	उदयपुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढे हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक / **2827** / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर / उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 लोसंगा वि.खं.- लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्रीमती अंजेली किण्डो** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/ 2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रोशनी सिंह	प्रा0शा0 पोतका	लखनपुर	प्रा.शा. शंकरपुर	उदयपुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढे हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ०क्रमांक / **2827** / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर / उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा०शा० पोतका वि.खं.- लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्रीमती रोशनी सिंह** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजू राम सोनकर	प्रा.शा. पाकजाम	अम्बिकापुर	प्रा.शा. मुडगांव	उदयपुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढे हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक / 2827 / स्था.-प्रा.शा./ पदो./ संवर्ग-ई / 2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर / उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा. पाकजाम वि.खं.- अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित श्री राजू राम सोनकर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/ 2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कंचन सिंह	प्रा0शा0 विशुनपुर खुर्द	अम्बिकापुर	प्रा.शा. केसमा	उदयपुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढे हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ०क्रमांक / 2827 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर / उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा०शा० विशुनपुर खुर्द वि.खं.- अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित श्रीमती कंचन सिंह को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री दिनेश कुमार	प्रा0शा0 सकरिया	लखनपुर	प्रा.शा. घाटबर्वा	उदयपुर

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढे हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक / **2827** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर / उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 सकरिया वि.खं.- लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री दिनेश कुमार** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री सिराजुद्दीन खान	प्रा.शा. पेटला,	सीतापुर	प्रा.शा. कदनई	मैनपाट

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक / 2827 /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सीतापुर / मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा. पेटला, वि.खं.- सीतापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित श्री सिराजुद्दीन खान को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री सत्यप्रकाश गुप्ता	प्रा.शा.कण्डराजा	मैनपाट	प्रा.शा. कुनिया	मैनपाट

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढे हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक / **2827** /स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मैनापाट / मैनापाट .को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा.कण्डराजा वि.खं.- मैनापाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री सत्यप्रकाश गुप्ता** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/ 2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री नीरज सिंह पैकरा	प्रा0शा0 लब्जी	लखनपुर	प्रा.शा. घुटरापारा	बतौली

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढे हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक / 2827 / स्था.-प्रा.शा./ पदो./ संवर्ग-ई / 2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर / बतौली .को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 लब्जी वि.खं.- लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित श्री नीरज सिंह पैकरा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री हसबान खान	प्रा.शा. ढेलसरा,	सीतापुर	प्रा.शा.किशुनपुर	लुण्ड्रा

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढे हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक / 2827 / स्था.-प्रा.शा./ पदो./ संवर्ग-ई / 2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सीतापुर / लुण्ड्रा .को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा. ढेलसरा, वि.खं.- सीतापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित श्री हसबान खान को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री महताब आलम	प्रा.शा. सीतापुर,	सीतापुर	प्रा.शा.आसनडीह	लुण्ड्रा

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढे हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ०क्रमांक / 2827 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सीतापुर / लुण्ड्रा .को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा.शा. सीतापुर, वि.खं.- सीतापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित श्री महताब आलम को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्री पास्कल टोप्यो	प्रा0शा0 ढोढाकेसरा	लखनपुर	प्रा.शा.गगौली	लुण्ड्रा

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढे हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ०क्रमांक / **2827** / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर / लुण्ड्रा .को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा०शा० ढोढाकेसरा वि.खं.- लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्री पास्कल टोप्पो** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती उर्मिला तिकी	प्रा0शा0 जमगवां	लखनपुर	प्रा.शा.घौरपुर	लुण्ड्रा

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढे हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ०क्रमांक / 2827 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर / लुण्ड्रा .को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा०शा० जमगवां वि.खं.- लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्रीमती उर्मिला तिकी** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)**

::आदेश::

क्रमांक / 2826 / स्था.-प्रा.शा./पदो./संवर्ग-ई/ 2022-23


अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूची-04 के तहत निहित प्रावधान व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सहायक शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग-ई (प्रशिक्षित) की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला संवर्ग-ई के पद पर वेतन मेट्रिक 35400-112400 लेबल-8 वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड पे-4200) में पदोन्नत करते हुए अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 05 में दर्शाये गये शाला में पदस्थ किया जाता है-

क्र.	सहायक शिक्षक (एल.बी.) का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	विकास खण्ड	पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रेशमा किण्डो	प्रा0शा0 धनौरा	लखनपुर	प्रा.शा.ससौली	लुण्ड्रा

शर्तें-

- 1- यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-5 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/No.91/2019 एवं याचिका क्रमांक W.P.S.No. 659/2022 दिनांक 03.02.2022 तथा W.P.S.No. 8322/2022 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 2- जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है या निलंबित हैं अथवा कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 3- यदि किसी सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो उसकी पदोन्नति माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।
- 4- उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक को दिनांक 31.03.2023 तक पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- यदि कोई सहायक शिक्षक (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करते हैं तो उन्हें दिनांक 28.03.2023 तक उचित माध्यम से लिखित सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि पदोन्नत संस्था संवर्ग-टी का हो तो संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी इन्हें कार्यभार ग्रहण न करावें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
- 7- पदोन्नति पश्चात् बढे हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।
- 8- पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके एवजीदार आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा

(2)

पृ0कमांक / 2827 / स्था.-प्रा.शा./ पदो./ संवर्ग-ई / 2022-23
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक-24.03.2023

- 1- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 8- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर / लुण्ड्रा .को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रा0शा0 धनौरा वि.खं.- लखनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- संबंधित **श्रीमती रेशमा किण्डो** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर ,सरगुजा